Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण

किस्म मुकदमा :– राजस्व प्रार्थना पत्र   संख्या :–......20/2020

अनवान   तहसीलदार   बनाम   ग्राम पंचायत टूंकड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए
06.02.2020	तहसीलदार उपस्थित। प्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 LR Act. 1956 के तहत् पेश किया। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा–टूंकड़ा, पटवार हल्का टूंकड़ा, तहसील–जैतारण में स्थित भूमि खसरा नम्बर 561/291 जमाबन्दी सेग्रीगेशन कार्य को पूर्ण करने एवं नक्शे में दर्ज खसरा नम्बरों का वन टू वन मिलान के मध्य जिन खसरो मे रिकार्ड मौका तथा नक्शे में भिन्नता आ रही हैं यथा खातेदारों के अलग अलग खसरों नम्बरों की सीमाओं में अन्तर हैं तथा नक्शा अनुरूप खसरों का रकबा मिलान नही होता हैं। ऐसे खसरा नम्बरों के नक्शे की सीमाओं में दुरूस्ती प्रस्ताव निम्नानुसार सेवा में पेश हैं। ग्राम टूंकड़ा पटवार हल्का टूंकड़ा तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) के खसरा नम्बर 561/291 रकबा 15–00 बीघा की सत्यप्रतिलिपि पेश कर निवेदन हैं कि निम्नानुसार रिकार्ड दुरस्ती का आदेश प्रदान करने की कृपा करावें। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मय रिकार्ड की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मौजा–टूंकड़ा में स्थित भूमि ख.न. 561/291 जमाबन्दी में आबादी भूमि के रूप में दर्ज हैं। पटवारी हल्का टूंकडा ने मौका स्थिति की मौका फर्द तैयार कर निवेदन किया कि ग्राम टूंकडा के खसरा नम्बर 561/291 में से दो जगह आबादी भूमि का आबंटन हुआ था। जिसे नामान्तरणकरण संख्या 345 की पुश्त पर 09–00 बीघा व 06–00 बीघा दो अलग–अलग जगह दर्शायी गई हैं। उक्त भूमि दिनांक 21/02/1986 को आबादी आबंटन होने से दर्ज की गई। मगर रेकर्ड में 15–00 बीघा एक साथ दर्ज की गई उक्त दोनों 09–00 बीघा व 06–00 बीघा की सीमाऐं चिपती हुई नहीं होने से एक साथ 15–00 बीघा की तरमीम एक साथ नहीं की जा सकती। उक्त आबंटित भूमि को नामान्तरणकरण संख्या 345 की पुश्त पर अंकित स्थिति अनुसार रेकर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जानी उचित हैं। जिसके लिए प्रस्तावित प्रस्ताव तैयार कर वास्ते दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट तथा संलग्न दस्तावेज एवं नामान्तरणकरण संख्या 345 की पुश्त पर अंकित नजरी नक्शे का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 291 में से आबंटित भूमि 15–00 बीघा को दो भागों में विभाजित कर 09–00 बीघा व 06–00 बीघा अलग–अलग इन्द्राज किया जाना उचित हैं। तथा इसी अनुरूप इन्द्राज दुरूस्ती की जानी उचित समझते. हैं। अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता हैं। मौजा–टूंकडा पटवार हल्का टूंकड़ा तहसील जैतारण में स्थित आबादी भूमि ख.नं. 561/291 जमाबन्दी में राजस्थान सरकार के नाम दर्ज हैं। पटवारी हल्का, भू.अ.निरीक्षक बलाड़ा एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं रिकार्ड की सत्यप्रतिलिपि अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं, जिसे प्रस्तावित प्रस्ताव अनुसार ग्राम टूंकड़ा के खसरा नम्बर 561/291 रकबा 15–00 बीघा गै.मु. आबादी के स्थान पर खसरा नम्बर 561/291 रकबा 09–00 बीघा गै.मु.आबादी एवं खसरा नम्बर 291/1 रकबा 06–00 बीघा गै.मु.आबादी के रूप में इन्द्राज दुरूस्ती के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। पृथक से आदेश जारी हो जो पत्रावली का भाग होगा, आदेश एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रेषित प्रस्ताव जो इस निर्णय का भाग होगा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण	175 12/2/20

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली)

क्रमांक/कोर्ट/2020/ दिनांक :–............

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या......20..../2020 निर्णय दिनांकः–06/02/2020

अनवान तहसीलदार बनाम ग्राम पंचायत टूंकड़ा

आदेश

(अंतर्गत धारा 136, 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956)

प्रार्थी तहसीलदार जैतारण के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार मण्डल–**टूंकड़ा** व भू.अ. निरीक्षक–**बलाड़ा** की रिपोर्ट तथा तहसीलदार जैतारण की अनुशंषा, खातेदारान् की प्रार्थना के आधार पर तहसील क्षैत्र जैतारण में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर एवं राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार भू–अभिलेखों की डिजिटाईजेशन हेतु संचालित DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) के अंतर्गत जमाबंदी, नक्शा एवं मौका स्थिति की अनुरूपता के लिए मौका एवं नक्शा की स्थिति में भिन्नता के फलस्वरूप तरमीम कार्य में उत्पन्न अवरोध के निराकरण हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं 131 के अनुसरण में ग्राम–**टूंकड़ा**, तहसील–जैतारण, जिला–पाली की जमाबन्दी संवत् **2073–2076** में निम्नलिखित खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। कुल रकबा एवं भूमि की किस्म अप्रभावित रहते हुए बदस्तूर जारी रहेगी।

DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) के तहत् खसरा विभाजन करना

नाम ग्राम–टूंकड़ा पटवार मण्डल – टूंकड़ा, भू.अ.नि. – बलाड़ा तहसील–जैतारण, जिला–पाली

वर्तमान खाते का विवरण					शुद्धि की प्रविष्टि				
खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	खातेदार का विवरण	खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	खातेदार का विवरण
306	561/291	15-00	गै.मु. आबादी	चारागाह व अन्य सामान्य कार्य हेतु।	306	561/291	9-00	गै.मु. आबादी	चारागाह व अन्य सामान्य कार्य हेतु।
						291/1	6-00	गै.मु. आबादी	
योग	**1**	**15-00**			**योग**	**2**	**15-00**		

नोट :– मौके पर 15–00 बीघा आबादी दो अलग–अलग स्थान पर (09–00 बीघा व 06–00 बीघा) होने से अलग–अलग दर्ज की गई हैं।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.02.18 11:29:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: